



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-21082026-275643
CG-AS-E-21082026-275643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4426]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948

No. 4426]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगाँव, 20 अगस्त, 2026

का.आ. 4606(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, ताकि वह उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। यह प्राधिकरण, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में " किशनगंज – जलालगढ़ नई लाइन (51.632 किमी.)" नामक विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के लिए, तथा ऐसे विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य हेतु, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी	ज़िला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज	बिहार
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया	अररिया	बिहार
3	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया	पूर्णिया	बिहार
4	अपर समाहर्ता (एल. ए.), उत्तर दिनाजपुर	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल

[फा. सं. W/207/CON/NJP/LAND/KNE-JAG/1]

हितेन्द्र गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण -2

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 20th August, 2026

S.O. 4606(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “Kishanganj – Jalalgarh New line (51.632 Km)” in the States of Bihar & West Bengal relating to districts mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	District Land Acquisition Officer, Kishanganj	Kishanganj	Bihar
2	District Land Acquisition Officer, Purnea	Purnea	Bihar
3	District Land Acquisition Officer, Araria	Araria	Bihar
4	Additional District Magistrate (LA), Uttar Dinajpur	Uttar Dinajpur	West Bengal

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/KNE-JAG/1]

HITENDRA GOYAL, Chief Administrative Officer/CON-2